फर्द अहकाम

श्री रामस्वरूप बनाम मदनलाल वगैरह

नाम न्यायालय –सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या– दावा – 21/2020

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.10.2020	पत्रावली पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकीलवादी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् वाद विड्रा करने, संशोधित उनवान मय वकालत नामा पेश किया। वकीलवादीगण एवं वादीगण ने उपस्थित होकर वाद विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकीलवादी, वादीगण ने अवगत कराया की पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। तथा वादीगण वाद को आगे नही चलाना चाहता है। इसलिए वाद वादीगण विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त वाद दिनांक 01.07.2011 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर को पेश हुआ। तथा प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। दिनांक 01.08.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। तथा शेष की तलवी हेतु लिखा गया। दिनांक 30.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय तहसील जयपुर मे उक्त प्रकरण में कुर्रेजात मगवाने हेतु मुताबिक निर्णय व डिक्री के आदेश जारी किये गये। दिनांक 25.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 11 रघुनाथ कि ओर प्रार्थना पत्र ऐतराज जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 पेश किया गया। तहसीलदार जयपुर के पत्र कमांक/कैम्प श्योसिंहपुरा/4497 दिनांक 31.07.2017 के द्वारा 02.08.2017 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होना दर्शाया गया है। उक्त पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक/कोर्ट/क्षे.अ./2019/352 दिनांक 05.03.2019 की पालना में उपखण्ड अधिकारी उत्तर को भिजवायी गई जो उक्त आदेशनुसार इस न्यायालय को दिनांक 10.08.2020 को प्राप्त हुई जिसे पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को अदालती नोटिस जारी किये गये। वकीलवादी के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में 06.03.2020 को वकालतनामा वादी कि ओर से पेश किया गया है जो शामिल पत्रावली है। वकीलवादी ने दिनांक 30.09.2020 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी 1908 पेश कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 रामस्वरूप कि मृत्यु दिनांक 13.08.2020 को हो गई है जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति सलंग्न है। तथा उनके वारिस की उनके पुत्र कमलेश का वकालतनामा उनके द्वारा पेश किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.10.2020 को संशोधित उनवान मय शेष वादी संख्या 1 के वारिसानों कि ओर वकालतनामा तथा विड्रो प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त विड्रो प्रार्थना पत्र पर नोऑबजेक्शन किया गया है। वादीगण की पहचान वकीलवादी द्वारा की गई। तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई। तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा पेश जवाब दावा के अलावा काउन्टर क्लेम पेश नही किया गया है। नाही इनके द्वारा उक्त वाद को विड्रा करने पर आपत्ती की गई है। अतः ऐसी स्थिती में वकीलवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विड्रो प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार करना उचित समझते है। वकीलवादीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो स्वीकार करने पर वाद वादीगण को खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 08.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2020.11.26 11:40:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner